छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

// आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4/5/2023

क्रमांक एफ 1–23/2022/कौ.वि./42 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्राचार्य वर्ग–1 के पद पर वेतनमान रूपये मैट्रिक्स लेवल–13 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई संस्था में पदस्थ किया जाता है :–

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
1	श्री ईश्वरी प्रसाद साहू, पिता श्री जीवन लाल साहू, ग्राम व पोस्ट–देवरी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, पिन–491331	अ.पि.वर्ग	उप संचालक पद पर संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, नवा रायपुर

2/ उपरोक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :–

(1) इनकी नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3, दिनांक 28.07.2020 के प्रावधान अनुसार चयनित अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत स्टायपेण्ड देय होगा, परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।

(2) उपर्युक्त नियुक्तियां छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 सहपठित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 से शासित होगी।

(3) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(4) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम–1988 के नियम–12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

(5) चयनित प्रत्याशियों को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

(6) चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सकीय (मेडिकल) योग्यता प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा। अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

क्रमश : 02

orderMpp/416

(7) उपर्युक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

04/5/2023

(रेखा साहू)
अवर सचिव

पृ0क्रमांक एफ 1–23/2022/कौ.वि./42, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4/5/2023

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
2. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
3. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, नवा रायपुर अटल नगर,
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, विधानसभा रोड, रायपुर,
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर अटल नगर,
6. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर। कृपया नव नियुक्त प्राचार्य वर्ग–1 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना से अवगत कराने के अनुरोध के साथ,
7. संबंधित कलेक्टर, जिला ...., छत्तीसगढ़,
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला ...., छत्तीसगढ़,
9. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह–मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छत्तीसगढ़,
10. नियंत्रक/उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर की ओर राजपत्र में प्रकाशन हेतु,
11. संबंधित अधिकारी, ..., छत्तीसगढ़,
12. मास्टर फाईल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

04/5/2023

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग